फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

श्रीचरण बनाम कहीलाल

प्रकरण विविध / 03/25

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/05/25	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर है। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-151 सी०पी०सी० एवं सपठित आदेश 23 नियम 1 सी०पी०सी० पेश हुयी है। विद्वान अधिवक्तागण उभय-पक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रार्थी की लिखित बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-151 सि० प्र० सं. पेश कर निवेदन किया है कि	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फ़र्द अहकाम

भींवाराम बनाम बद्रीप्रसाद

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर [illegible]

केस संख्या [illegible] विविध/53/26

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	20/3/26	प्रार्थी/वादी के वाद उनवानी भींवाराम निठारवाल बनाम बद्री-प्रसाद व अन्य, जो कि दिनांक 31.05.2012 को 'विद्ड्रो के आधार पर खारिज फरमा दिया गया था, उसे पुनः रेस्टोर कर पुर्नजीवित किया जावे। चूंकि प्रार्थी/वादी का दावा विड्रो प्रा० पत्र स्वीकार होने पर दिनांक 31.05.2012 को ~~खारिज~~ सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था, विधि में withdraw/विड्रो प्रा० पत्र को भी विड्रो किए जाने के प्रावधान उल्लेखित नहीं है।

[signature]

सहायक कलक्टर [illegible]

फर्द अहकाम

श्रीबाराण बनाम श्रीप्रसाद व अन्य

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय प्रकरण विविध/ 8/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
20/05/25	और ना ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र एवं लिखित बहस में कोई specific Provision बताया है कि जिसमें कि डिक्री के आधार पर दावा खारिज होने पर दावा रिकॉल किया जाकर पुनर्जीवित किया जा सके। अतः प्रार्थी का प्रा॰पत्र अन्तर्गत धारा-151 सि॰पी॰सी॰ एवं सपठित आदेश 23 नियम 1 सी॰पी॰सी॰ पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। यद्यपि प्रार्थी का वाद	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

भींवाराम बनाम बद्रीप्रसाद

सहायक कलक्टर

नाम न्यायालय जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	20/8/25	उनवानी भींवाराम निठारवाल बनाम बद्रीप्रसाद ना तो गुणावगुण पर निर्णीत हुआ है और ना ही न्यायालय में लम्बित है अतः प्रार्थी को नया वाद पेश करने पर कोई रोक नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-151 सीपीसी उपरोक्तानुसार निर्णीत समझा जावे। निर्णय आज दिनांक 20/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर, फैसल शुमार हो एवं दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम